सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 03, बुधवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 25, 2023 *Kartika 03, Wednesday , Saka 1945- October 25, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 05, 2023

[अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)]

(लक्ष्मणगढ़ डिविजन)

संख्या 4839591 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार **सीकर जिले की नेछवा तहसील में झाझड़ (एसएच-07) सेएसएच-20 तक प्रस्तावित नेछवा बाईपास सड़क निर्माण** केप्रयोजनार्थ निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैं।

क्र.सं.	जिला	तहसील	गांव
1	सीकर	नेछवा	गनेड़ी
2			नेछवा
3			झिलमिल

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड़-लक्ष्मणगढ़ द्वारा **"वंशकंसलटेन्सी, वार्डनं. 15, नीमकाथाना, (राज)332713"** एजेन्सी का चयन किया गया हैं।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात्प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार केबल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शुन्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्कसूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग,

खण्ड-लक्ष्मणगढ़, जिला-सीकर(राज) 332311

फोननं. 9785700549

ई-मेलः eelaxmangarh@rediffmail.com

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

वंश कंसलटेन्सी,

प्रतिनिधि: अमित कुमार, मोबाईलः 9694916630

कार्यालयः वार्ड नं. 15, नीमकाथाना, (राज) 332713

ई-मेलः vanshconsultancy26@gmail.com

आदेश द्वारा

सुनील गुप्ता,
संयुक्तसचिव (पथ),
सा.नि. विभाग,
राजस्थान जयपूर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।